

प्रेषक,

सचिव,
आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

यू0एस0डी0एम0ए0

देहरादून, दिनांक 02 अप्रैल, 2020

विषय: COVID-19 के अर्न्तगत लगाये गये देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान Telecommunication कम्पनीयों द्वारा निर्वाध सेवा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच.ओ.) द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किये जाने के क्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन लगाया गया है।

उक्त के क्रम में जनपद के अर्न्तगत दूरसंचार एवं मोबाइल सेवायें निर्वाध रूप से चलाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित कर यथोचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

प्रतिलिपि: आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।